

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल सिहपुरा)

धारा अर्न्तगत -136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 7-96/2025 दायर दिनांक 9 / 10 / 2025

रिपोर्ट

निर्णय दिनांक 9/10/25

राजस्थान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क.स.	नाम	खाता नम्बर	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	राजपुरा	37	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बडौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	1. कालु पिता नारायण हिस्सा 1/8 जाति गाडरी सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/8 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन	1. कालु पिता नारायण हिस्सा 1/8 जाति गाडरी सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/8 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन	तहसीलदार कपासन की अनुशंघा स्वीकार की जाकर राज.भू. रा. अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम राजपुरा पटवार हल्का केसरखेडी के खाता संख्या 37 में वर्तमान प्रविष्टी बडौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक कपासन को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दसमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर	हस्ताक्षर निरदावर	हस्ताक्षर तहसीलदार मय मोहर	

उपखण्ड अधिकारी कपासन

निरदावर

तहसीलदार

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़